राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक–एफ–27(5)ग्रावि / इंआ / जिला / ग्रुप–5 / 2011–12 जयपुर,दिनांक फरवरी, 2012

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

विषयः **''मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना'' एवं ''इन्दिरा आवास योजना'' वर्ष 2012–13 की अग्रिम तैयारी हेतु कार्य योजना।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बीपीएल सेन्सस–2002 के आधार पर चयनित बीपीएल परिवारों में से तैयार की गई इन्दिरा आवास की स्थाई प्रतीक्षा सूची में से शेष रहे पात्र परिवारों को वर्ष 2012–13 में ''मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना'' एवं ''इन्दिरा आवास योजना'' के तहत नवीन आवास निर्माण हेतु ईकाई अनुदान सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

इस आशय के लिए योजनाओं के दिशा–निर्देशों एवं राज्य सरकार से समय–समय पर जारी आदेशों के मध्येनजर उक्त योजनाओं के समयबद्व क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित कार्य योजना के बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर सम्पूर्ण अग्रिम तैयारी की जावे ताकि इन आवासीय योजनाओं के वर्ष 2012–13 के लक्ष्य प्राप्त होने पर पात्र लाभार्थियों को समय पर स्वीकृति जारी कर राशि उपलब्ध कराई जा सके :–

1 स्थाई प्रतिक्षा सूची में शेष रहे सभी परिवारों के आवासों का भौतिक सत्यापन दिनांक 15.02.2012 से 15.03.2012 तक कराना :–

जैसाकि आपको विदित है कि बीपीएल सेन्सस– 2002 के आधार पर चयनित बीपीएल परिवारों में से इंदिरा आवास के लिए ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग एवं अन्य (सामान्य+ओबीसी+अल्पसंख्यक) वर्ग के लिए दो अलग–अलग स्थाई प्रतीक्षा सूचियां बनी हुई है। इंदिरा आवास योजना की उक्त दोनों स्थाई प्रतीक्षा सूचियों का प्रकाशन विभागीय वेब–साइट www.rdprd.gov.in पर किया गया है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में दिनांक 15 फरवरी, 2012 से 15 मार्च,2012 तक विशेष अभियान चलाकर इन्दिरा आवास की स्थाई प्रतीक्षा सूची में वर्ष 2011–12 के पश्चात् लाभान्वित होने से शेष रहे सभी परिवारों के आवासों का भौतिक सत्यापन तीन सदस्यों के दल से कराया जावे। जिसमें एक सदस्य (संबंधित ग्राम पंचायत का संबंधित वार्ड पंच / सरपंच / उप सरपंच), दूसरा सदस्या (संबंधित ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक) एवं तीसरा सदस्य (संबंधित पटवारी / विकास अधिकारी द्वारा अधिकृत उस पंचायत क्षेत्र का कर्मचारी) हों। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग तथा अन्य (सामान्य+ओबीसी+अल्पसंख्यक) वर्ग की अलग–अलग स्थाई प्रतीक्षा सूची के भौतिक सत्यापन में निम्न बिन्दु शामिल किये जावें :–

(i) ऐसे परिवार जिनको किसी आवासीय योजना अंतर्गत लाभ मिल चुका है। पात्र नहीं है।

अथवा

वर्तमान में पक्का आवास निर्मित है। पात्र नहीं हैं।

अथवा

ऐसे परिवार जो स्थाई रूप से पलायन कर चुके है। पात्र नहीं हैं।

(ii) भौतिक सत्यापन के दौरान पात्र हैं।

(iii) भौतिक सत्यापन करने वाले तीनों सदस्यों के दिनांक सहित हस्ताक्षर।

विकास अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी के स्तर से उक्त भौतिक सत्यापन के विशेष अभियान की सघन मोनीटरिंग व टेस्ट चैकिंग करायी जावे। इस प्रकार तैयार की गई दोनों प्रतीक्षा सूचियों पर विकास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरों के पश्चात् 20 मार्च,2012 तक जिला स्तर पर प्राप्त की जावे तथा जिला स्तर से स्केन कर उसे विभाग की वेबसाईट पर दिनांक 25.03.2012 तक अपलोड करावें।

2. भौतिक सत्यापन के पश्चात् स्थाई प्रतीक्षा सूची से वर्गवार सूचना तैयार कराना :–

उपरोक्तानुसार भौतिक सत्यापन के पश्चात् स्थाई प्रतीक्षा सूची के पात्र परिवारों की पंचायतवार एवं वर्गवार सूचना सलंग्न परिशिष्ठ–I में तैयार करवाकर जिला स्तर पर रखी जावे तथा पंचायत समितिवार एवं वर्गवार सूचना परिशिष्ठ– II में जिला स्तर से तैयार करवाकर दिनांक 25.3.2012 तक विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

3. वर्ष 2012–13 के लिए हडको ऋण की तैयारी :–

(i) उपरोक्तानुसार भौतिक सत्यापन के पश्चात् स्थाई प्रतीक्षा सूची के पात्र परिवारों के वर्ग से EWS-I एवं EWS-II के लाभार्थियों की सूचना सलंग्न परिशिष्ठ– II में तैयार करवा कर दिनांक 25.3.2012 तक विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

(ii) हडको के ऋण आवेदन के पश्चात् EWS-I एवं EWS-II में परिवर्तन नहीं होगा।

(iii) मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना में वर्ष 2012–13 के लिए 2 लाख आवासों हेतु हडको द्वारा जिला परिषद्ों को रूपये 1000 हजार करोड का ऋण देने का प्रावधान किया जा रहा है।

(iv) EWS-I एवं EWS-II की उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में सूचना विभाग को प्राप्त होने पर जिलेवार लक्ष्यों का आवंटन अप्रेल, 2012 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

4. लाभार्थियों से आवेदन तैयार कराना :–

(i) ''मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना'' वर्ष 2011–12 में जिले को आवंटित लक्ष्यों के बराबर वर्ष 2012–13 के लिए वर्गवार वरीयता क्रम में लाभार्थियों में प्रपत्र–I में आवेदन कराने की अग्रिम तैयारी उक्त भौतिक सत्यापन के तत्काल बाद प्रारम्भ कराना ताकि 15 अप्रेल तक आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

(ii) ''इंदिरा आवास योजना (Regular)'' वर्ष 2011–12 में जिले को आवंटित लक्ष्यों के बराबर वर्ष 2012–13 के लिए वर्गवार वरीयता क्रम में लाभार्थियों में प्रपत्र–I में आवेदन कराने की अग्रिम तैयारी उक्त भौतिक सत्यापन के तत्काल बाद प्रारम्भ कराना ताकि 15 अप्रेल तक आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

''मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना'' वर्ष 2012–13 एवं इंदिरा आवास योजना वर्ष 2012–13 की अग्रिम तैयारी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शेष रही स्थाई प्रतीक्षा सूची के भौतिक सत्यापन का विशेष अभियान दिनांक 15.2.2012 से 15.3.2012 तक आयोजित करवाकर उपरोक्त कार्य योजना का सफल कियान्वयन कराना सुनिश्चित करावें।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार।

(सी.एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरा, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान,जयपुर।
8. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान–जयपुर।
9. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद्, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
11. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
12. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मुख्यालय।
13. मुख्य लेखाधिकारी, पंचायती राज विभाग मुख्यालय।
14. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास मुख्यालय।

शासन सचिव

Annexure-I

Social category wise number of Beneficiaries under **IAY/ Chief Minister BPL Awaas Yojna (Status as on 01-04-2012)**
Block:-

(पंचायत समिति से जिला परिषद को सूचना भिजवाने का प्रपत्र)

S.No	Gram panchayat	EWS-I					EWS-II		
		SC	ST	OBC	Others which are not covered in SC/ST & OBC (Widow/ Single woman age >35 years/ Physically handicapped)	Total	Minority	General (Remaining Others)	Total
Total									

OIC

BDO

Annexture-II

Social category wise number of Beneficiaries under **IAY/ Chief Minister BPL Awaas Yojna (Status as on 01-04-2012)**
District:-

(जिला परिषद से ग्रामीण विकास विभाग को सूचना भिजवाने का प्रपत्र)

S.No	Block	EWS-I					EWS-II		
		SC	ST	OBC	Others which are not covered in SC/ST & OBC (Widow/ Single woman age >35 years/ Physically handicapped)	Total	Minority	General (Remaining Others)	Total
Total									

OIC

CEO